

2021/1586

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रधारान गौरी के हांग

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडराजपुरा जमाबन्दी सम्बन्धी संख्या 2075 से 78 के खाता संख्या 123 में गांधु पिन्ना के बजाय गांधु पिन्ना दर्ज है।  
गांधु पिन्ना के बजाय गांधु पिन्ना दर्ज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

क्र- 20/11/21

प्रार्थी  
निशा कुमारी

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

दयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धी संख्या 2075 से 78 के खाता संख्या 123 में प्रार्थी का नाम गांधु पिन्ना दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न खेडराजपुरा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गांधु पिन्ना जो संशोधित किया जा उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

गांधु पिन्ना  
भू.अ.नि.  
11/12/2021

पटवारी  
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी पटवारी व भू0अ0नि0 गांधु पिन्ना एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर खेडराजपुरा की जमाबन्दी सम्बन्धी संख्या 2075 से 78 की खाता संख्या 123 में प्रार्थी का गांधु पिन्ना के बजाय गांधु पिन्ना किये जाने हेतु अनिशंका की जाती है।

तहसीलदार  
नीलकांठा

15/12/21

उपस. 0

आदेश  
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडराजपुरा जमाबन्दी सम्बन्धी संख्या 2075 से 78 खाता संख्या 123 में दर्ज प्रार्थी का नाम गांधु पिन्ना के स्थान पर गांधु पिन्ना संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।



निशा कुमारी  
प्रभारी उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (नीलकांठा)